



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई०

माघ 24, 1922 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

कृषि अनुभाग

संख्या 346 / कृषि / 2000-2001

देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प० आ०—018

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की घारा 26 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्याभास निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त तगद स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, उप स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, भलेरिया निवारण अधिकारी, पुलिस थानों के समस्त थानेदार, समस्त पशु चिकित्सक, समस्त कृषि रक्षा अधिकारी, समस्त जिला कृषि आधिकारी, समस्त परियोजना अधिकारी (कृषि), समस्त जिला उद्यान अधिकारी और समस्त उप निदेशक (उद्यान) कीटनाशी के उपयोग या हाथ लगने से उत्पन्न विषाक्तता की समस्त ऐसी घटनाओं की, जो उनके संज्ञान में आये, रिपोर्ट उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) कृषि भठन, पौड़ी को देंगे।

आज्ञा से,

(डा० आर० एस० टोलिया)

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,

वन एवं ग्राम्य विकास।